शहीद कवासी रोड्डा पेद्दा शासकीय महाविद्यालय

कुआकोण्डा, जिला–दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग) 494552

Affiliated to Shaheed Mahendra Karma University, Jagdalpur, Bastar(C.G.)

Email: -gnckuankonda021@gmail.com, Mob- 96911-18204

क्रमांक/ 91 /स्था./विज्ञापन/2025 कुआकोण्डा, दिनांक 26/07/2025

// सत्र 2025–26 अंतर्गत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य का आमंत्रण //

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर का पत्र क्रं. 289/01/ आउशि/राज. स्था./2025, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 23.07.2025 के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2025–26 में शासकीय महाविद्यालयों के रिक्त प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापकों पर अतिथि व्याख्याताओं/ अतिथि शिक्षण सहायकों की व्यवस्था की अनुमति प्रदान किये जाने के परिणामस्वरूप शहीद कवासी रोड्डा पेद्दा शासकीय महाविद्यालय कुआकोण्डा, जिला–दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग) में विषय (निम्न सारणी अनुसार) में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता एवं अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन अपने समस्त प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 04.08.2025 को सायं 5:30 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता :–

1. अतिथि व्याख्याता को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होना चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होना चाहिए।
2. आयु सीमा– अतिथि व्याख्याता/ अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक।
3. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

विषय/पदों का विवरण :–

क्रमांक	विषय	रिक्त पद एवं संख्या				
		प्राध्यापक	सह–प्राध्यापक	सहायक प्राध्यापक	ग्रंथपाल	क्रीड़ाधिकारी
1	अंग्रेजी	–	–	1	–	–
2	समाजशास्त्र	–	–	1	–	–
3	राजनीति शास्त्र	–	–	1	–	–
4	प्राणी शास्त्र	–	–	1	–	–
5	वनस्पति शास्त्र	–	–	1	–	–
6	भौतिकी	–	–	1	–	–

Scanned with OKEN Scanner

टीप:— 1. संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति/ नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरूद्ध कार्यरत् अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

2. अतिथि व्याख्याता नीति—2024 के कंडिका 9.6 के तहत् यदि उक्त विज्ञापित विषयों में श्रेणी 1 अथवा श्रेणी 2 अथवा श्रेणी 3 के अतिथि व्याख्याता कार्यग्रहण नहीं करते हैं तो, इस महाविद्यालय में संबंधित विषय में पिछले सत्र में कार्यरत् अतिथि शिक्षण सहायकों को श्रेणी 4 के मेरिट सूची में वरीयता दी जावेगी एवं उनके द्वारा निर्धारित सीमा तक कार्यग्रहण न करने पर ही अन्य आवेदनों पर विचार किया जावेगा, बशर्ते पिछले सत्र में कार्यरत् अतिथि शिक्षण सहायक के द्वारा संबंधित विषय हेतु इस विज्ञापन के तहत् आवेदन प्रेषित किया गया हो।

शर्तें :—

1. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10 वीं, 12 वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम. फिल./पी—एच.डी. अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।
2. दिनांक 04.08.2025 तक कार्यालय समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई—मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा। वर्तमान में आफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे हैं। भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की इस प्रक्रिया में आनलाईन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभावित होगा।
3. अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
4. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक 08.08.2025 को महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाईट (https:// https://gackdl.ac.in/) पर प्रकाशित किया जावेगा। वेबसाइट में विस्तृत विवरण भी अपलोड किया जायेगा।
5. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि 12.08.2025 (संध्या 5:30 बजे) तक होंगी।
6. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक 14.08.2025 को किया जावेगा जिसका अवलोकन महाविद्यालय की वेबसाईट (https:// https://gackdl.ac.in/) अथवा सूचना पटल में किया जायेगा।
7. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरूद्ध पुलिस/ न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/ अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में शिकायत/ कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई है।
8. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
9. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।

10. अतिथि व्याख्याता के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगा :—

Scanned with OKEN Scanner

क्रं.	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि शिक्षण सहायक
40–45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
1	40–45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	400/–	300/–
2	चार कालखंडों के लिए प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	1600/– (41600/– प्रतिमाह अधिकतम)	1200/– (30000/– प्रतिमाह अधिकतम)
60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
1	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	500/–	350/–
2	चार कालखंडों के लिए प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2000/– (50000/– प्रतिमाह अधिकतम)	1400/– (35000/– प्रतिमाह अधिकतम)

11. आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार कर पता शहीद कवासी रोड्डा पेद्दा शासकीय महाविद्यालय कुआकोण्डा, जिला–दक्षिण बस्तर दन्तेवाडा (छ.ग), 494552 एवं आवेदित विषय/ पद आवश्यक रूप से लिखें।
12. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक–सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक–सेवक नहीं कहलायेंगे।
13. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत् यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।
14. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
15. कक्षाओं के संचालन के साथ–साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीड़ा गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यों में ये सहयोग प्रदान करेंगे।
16. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे।

प्राचार्य
शहीद कवासी रोड्डा पेद्दा शासकीय
महाविद्यालय, कुआकोण्डा

शहीद कवासी रोड्डा पेद्दा
शासकीय महाविद्यालय, कुआकोंडा
जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/ 92 /स्था./विज्ञापन/2025 कुआकोण्डा, दिनांक 26/07/2025

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लाक– सी 30 द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन अटल नगर, रायपुर (छ0ग0) का सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा को सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय अपर संचालक, बस्तर संभाग, उच्च शिक्षा विभाग, जगदलपुर को सूचनार्थ।

Scanned with OKEN Scanner

4. प्राचार्य समस्त शासकीय महाविद्यालय..की नोटिस बोर्ड चस्पा हेतु सूचनार्थ
5. समस्त शासकीय कार्यालय.. ....के नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।
6. स्थापना एवं लेखा शाखा।

प्राचार्य
शहीद कवासी [illegible] पेन्टा शासकीय
महाविद्यालय, [illegible]

Scanned with OKEN Scanner